

## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 1228 सन 2021

अनवान :-

1. जसवन्दि सिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
2. गुरदास सिंह पुत्र गुरविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. नक्षत्रसिंह पुत्र आल्हासिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
2. जगवीरसिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
3. चरणजीतकौर पुत्री नक्षत्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
4. अमनदीप कौर पुत्री जसविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
5. किरण कौर पुत्री जसविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
6. राजवीरकौर पुत्री जसविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
7. रेम्पलजीत कौर पुत्री गुरुविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
8. गुरविन्द्रसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 17.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 40 की कुल 2.5300हैक् भूमि नक्षत्रसिंह एव रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 48 4.0480हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा आल्हासिंह पुत्र जगतसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा आल्हासिंह पुत्र जगतसिंह के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा आल्हासिंह पुत्र जगतसिंह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है काफी वृद्ध हो चुका है भूमि काश्त करने में असमर्थ है व प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 वादीगण की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री/पौत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1,3 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,8 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,8 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता आल्हासिंह पुत्र जगतसिंह के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1,3 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,8 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,8 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 40 की कुल 2.5300हैक् भूमि नक्षत्रसिह एव रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 48 4.0480हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि आल्हासिह पुत्र जगतसिह के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा आल्हासिह पुत्र जगतसिह के नाम से दर्ज है वादी के दादा आल्हासिह पुत्र जगतसिह के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 40 की कुल 2.5300हैक् भूमि नक्षत्रसिह के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 गुरुदाससिह व प्रतिवादी संख्या 2 जगदीरसिह दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एव रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 48 4.0480हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 जसविन्द्रसिह 1/12 हिस्सा के स्थान पर 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 गुरविन्द्रसिह का 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नाहर ( हनुमानगढ़ )  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट... खूईया.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जसविन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
2. गुरदास सिंह पुत्र गुरविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।

वादीग

ण

बनाम

- 1 नक्षत्रसिंह पुत्र आल्हासिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
- 2 जगवीरसिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
- 3 चरणजीतकौर पुत्री नक्षत्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
- 4 अमनदीप कौर पुत्री जसविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
- 5 किरण कौर पुत्री जसविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
- 6 राजवीरकौर पुत्री जसविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
- 7 रेम्पलजीत कौर पुत्री गुरुविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
- 8 गुरविन्द्रसिंह पुत्र नक्षत्रसिंह जाति जटसिख निवासी रतनपुरा तहसील नोहर ।
- 9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1228 सन 2021 निर्णय दिनांक- 17.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 40 की कुल 2.5300हैक् भूमि नक्षत्रसिंह के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 2 गुरुदाससिंह व प्रतिवादी संख्या 2 जगवीरसिंह दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एव रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 48 की कुल 4.0480हैक् में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 जसविन्द्रसिंह 1/12 हिस्सा के स्थान पर 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 गुरविन्द्रसिंह का 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021